

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2092
दिनांक : 10.8.2017

संशोधित

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79- वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की अनुमति के आलोक में रामा मेडिकल कालेज-अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, हापुड़ को एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में (150 सीट) शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु दिनांक 01.07.2016 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.03.2016 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम0सी0आई0 रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति दिनांक 21.06.2017 के आलोक में रामा मेडिकल कालेज-अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, हापुड़ को एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में (150 सीट) शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु दिनांक 01.07.2016 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, रामा मेडिकल कालेज-अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, हापुड़।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेंटी सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

Atal

Dinko

PRINCIPAL
Rama Medical College, Hospital &
Research Center, Rama City, NH-24
(38 Km. Mile Stone), Hapur-245304

CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

Letter No.Affil./2092

Date: 10/08/2017

AFFILIATION ORDER

In exercise of powers conferred by Gazette Notification No.975/79- dated 18/07/2014 under sub- section - 2 of section 37 of the **Uttar Pradesh State University Act, 1973**; by the order of Hon, ble Vice-Chancellor in pursuance of approval of sanction accorded by Executive Council, the prior approval for next one year affiliation has been granted to Rama Medical College Hospital and Research Centre Hapur for MBBS course (150 Seats) from 01/07/2016 from academic session 2016-17:-

1-The institution shall fulfill the terms and conditions mentioned in the inspection report and letter dated 18.03.2016 of Government of India.

2- The institution will charge the same amount of fee on the students as fixed by the Government and ensure compliance of guide lines of the Government regarding mode and method of admission in the Medical College.

3-The institution will ensure to make available the information of admitted candidates and vacant seats according to rules and regulations To the Director General Medical Education and Training Uttar Pradesh within time frame stipulated by them and will comply the Government orders issued from time to time in this regard.

4- Examination of the admitted students will be conducted by the institution according to M.C.I Regulations only after prescribed teaching days.

5- The institution will ensure compliance of University's statutes and ordinance regarding admission and examinations.

In view of approval of sanction Dated 21/06/2017 accorded by Executive Council, the approval for next one year affiliation is granted to Rama Medical College Hospital and Research Centre Hapur for MBBS course (150 Seats) from 01/07/2016 from academic session 2016-17 under the above mentioned terms and conditions. It is further informed that admissions of the students in the aforesaid course will be done in accordance with directions of the University.


Sincerely

Registrar

Copy to:-

- 1- Secretary, Medical Education Section-1, Government of Uttar Pradesh, Lucknow for information.
- 2- Secretary, Rama Medical College Hospital and Research Centre, Hapur.
- 3- Assistant Registrar, (Accounts) for information.
- 4- Incharge, Committee Cell, Ch. Charan Singh University for information.
- 5- Incharge, Store, Ch. Charan Singh University for information.
- 6- Incharge, Confidential (Professional) Cell, for information.
- 7- Incharge, Internet with intent that he may kindly upload the concerned institution/ name of the course on the website of the University.
- 8- Guard File.

Registrar


PRINCIPAL
Rama Medical College, Hospital &
Research Center, Rama City, NH-24
(38 Km. Mile Stone), Hapur-245304

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2092
दिनांक : 10.8.2017

संशोधित

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79- वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की अनुमति के आलोक में रामा मेडिकल कालेज-अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, हापुड़ को एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में (150 सीट) शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु दिनांक 01.07.2016 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.03.2016 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम0सी0आई0 रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति दिनांक 21.06.2017 के आलोक में रामा मेडिकल कालेज-अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, हापुड़ को एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में (150 सीट) शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु दिनांक 01.07.2016 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, रामा मेडिकल कालेज-अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, हापुड़।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेंटी सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करे।
8. गार्ड फाइल हेतु।

40.
09/8/17

कुलसचिव

4/8